

18.04.17

अनु० २०५७

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के एक सदस्य उपस्थित
 हैं। द्वितीय पक्ष के दो सदस्य उपस्थित हैं। उभय
 पक्ष के अनुपस्थित सदस्यों की ओर से प्रतिनिधित्व
 हेतु आवेदन की गई है। द्वितीय पक्ष के एक-एक सदस्य
 हरद्वे जंग का मूल्य प्रमाण पत्र की दायता प्रस्तुत
 किया गया है। पीठसमक्ष पदाधिकारी द्वारा कार्य में व्यवस्था
 अभिलेख दिनांक 09.05.17 को रखा।

18.11.1

09.05.17

अनु० २०५७

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष के एक-एक सदस्य उपस्थित
 हैं एवं अनुपस्थित सदस्यों की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु
 आवेदन की गई है।
 उक्त वाद की वैधानिक समयावधि 6 माह
 समाप्त हो चुकी है एवं किसी भी पक्ष द्वारा अवधि
 विस्तार हेतु आवेदन दायित्व नहीं किया गया है। अतः
 वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

09/05/17

12.1